

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex

सं.No.NFC/Admn./CHSS/2020/2029

दिनांक Date: 29/06/2020

**परिपत्र CIRCULAR**

विषय : कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान सीएचएसएस कार्डों की वैधता दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाए जाने के संबंध में...

Sub : Extension of validity of existing CHSS cards upto 30.09.2020 due to COVID-19 Pandemic.

\*\*\*\*\*

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं.एनएफसी/सीएचएसएस/04/01/2020/1564 का संदर्भ लें जो आश्रित लाभार्थियों (संतान एवं माता-पिता/सास-श्वसुर) के संबंध में सीएचएसएस कार्डों एवं स्वास्थ्य पासबुकों के नवीकरण हेतु दिनांक 15.02.2020 तक आवेदन मंगाने के लिए जारी किया गया था।

Reference is invited to this office Circular No. NFC/CHSS/04/01/2020/1564 Dt.27.01.2020 seeking applications for renewal of CHSS Cards and Health Pass Books in respect of Dependent beneficiaries (Children and Parents/Parents-in-law) with a due date 15.02.2020.

कोविड-19 महामारी एवं अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, सीएचएसएस कार्डों की वैधता क्रमशः दिनांक 15.05.2020 तथा 30.06.2020 तक बढ़ा दी गई थी।

In view of COVID-19 Pandemic and exigencies, the validity of CHSS cards were extended upto 15.05.2020 and 30.06.2020 respectively.

अब, सक्षम प्राधिकारी ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि माता-पिता/सास-श्वसुर (महिला कर्मचारियों के मामले में) तथा संतान (25 वर्ष तक की आयु वाले) के संबंध में सीएचएसएस कार्डों की वैधता को दिनांक 30.06.2020 से और आगे बढ़ाकर दिनांक 30.09.2020 तक कर दी जाए।

Now, the Competent authority has decided to further extend validity of CHSS cards in respect of parents / Parents-in-law (in case of female employees) and children (aged upto 25 years) beyond 30.06.2020 upto 30.09.2020 due to the extraordinary situation arose due to COVID-19 Pandemic.

अतः एनएफसी के सीएचएसएस के अंतर्गत पैनलित सभी एएमए/ज़ोनल अस्पतालों/ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से अनुरोध है कि कृपया वे सीएचएसएस लाभार्थियों के आश्रितों यथा माता-पिता/सास-श्वसुर (महिला कर्मचारियों के मामले में) को दी जाने वाली उपचार सुविधा को दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ा दें।

All the AMAs / Zonal Hospitals / Super Speciality Hospitals empanelled under CHSS of NFC are therefore requested to kindly extend treatment facility to the dependants of CHSS beneficiaries i.e., parents / Parents-in-law (in case of female employees) and children upto 30.09.2020.

करार की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

Other conditions of agreement remain unchanged.

( नागार्जुना प्रसाद Nagarjuna Prasad )  
प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer – III

सभी अधिकारी/कर्मचारी To all the employees  
सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants / Sections  
सभी सूचनापट्ट/All Notice Boards

सादर सूचनार्थ for kind information.

समस्त एएमए/ ज़ोनल अस्पताल All the AMAs / Zonal Hospitals  
एनएफसी, सीएचएसएस के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल  
Super Speciality Hospitals of CHSS of NFC

**प्रतिलिपि Copy to:**

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ for kind information.
2. DCE(ZR,SM,ZC, MELTING, PLANNING & Medical) - With a request to kindly instruct the concerned Officials for a change of date of validity in the Software.
3. सभी उप मुख्य कार्यपालक/परि.निदे.जेडसी./पलय./महा.प्रबं/क्षे.नि., क्रभनिहैए/उपमहा.प्रबं./प्रधान/वरि.प्रबं./प्रबं./उप प्रबं./कार्या.प्रभारी/ DCEs/GMs/RD, HRPSU/DGMS/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, कोटा व जेडसी)/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(सीएचसी व सीएचएसएस)/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, नाईस CMS (OHC, Kota & ZC)/CMS (CHC & CHSS/CMO/Medical Officers, NFC/ PD(NFC-K)/GM(ZC)
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नाईस/CAO, NFC
6. संयुक्त नियंत्रक वित्त व लेखा/JCFA, NFC
7. उप महानिरीक्षक, पऊवि मुख्यालय/समादेष्टा, कें.औ.सु.ब./ DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
8. महासचिव, नाईस औ.का.संघ/ General Secretary, NFC IWU
9. अध्यक्ष, नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ President, NFC SSA/ NUFCOSSA / NUFCOA

**सूचनार्थ प्रति/Copy also for information to:**

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CAO, AMD, Hyderabad
2. प्रभारी वैज्ञानिक, टीआईएफआर, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्रधानाचार्य, आईसीएस-I/II, एएयूएच, हैदराबाद / Principal, AECS-I/II, AUH, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएल कैंपस, हैदराबाद Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
7. आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद / IIW, DAE, Hyderabad
8. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू (एम) शहर कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद Manager-Purchase, RPU(M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
9. समन्वयक, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन / Coordinator, Retired Employees' Association